



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1386]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2010/आषाढ़ 18, 1932

No. 1386]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2010/ASADHA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2010

आय-कर

का.आ. 1639(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80गगच द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट बंधपत्रों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए दीर्घकालीन अवसंरचनात्मक बंधपत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

- (क) बंधपत्र का नाम—बंधपत्र का नाम "दीर्घकालीन अवसंरचनात्मक बंधपत्र" होगा;
- (ख) बंधपत्र के जारीकर्ता—बंधपत्र निम्नलिखित के द्वारा जारी होगा :-
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम;
 - भारतीय जीवन बीमा निगम;
 - इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड;
 - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई अवसंरचनात्मक वित्त कम्पनी के रूप में वर्गीकृत कोई गैर बैंककारी वित्त कम्पनी;
- (ग) निर्गम की सीमा-
- बंधपत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी हो सकेंगे;
 - वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम का परिमाण 2009-10 के दौरान जारीकर्ता द्वारा अवसंरचनात्मक विनिधान में की गई वृद्धि का पच्चीस प्रतिशत निर्बंधन होगा;
 - इस सीमा के प्रयोजन के लिए, 'विनिवेश' जिसके अंतर्गत उधार, बंधपत्र, ऋण का अन्य प्रकार अर्थ साम्या,

अधिमानी साम्या और साम्या भी हैं;

(घ) बंधपत्र की अवधि—

- दस वर्ष की न्यूनतम अवधि होगी;
- किसी विनिधानकर्ता के लिए रोध की न्यूनतम अवधि पांच वर्ष होगी;
- रोध की अवधि के पश्चात्, विनिधानकर्ता या तो उसे द्वितीय बाजार के माध्यम से या पुनःखरीद सुविधा के माध्यम से, जो जारीकर्ता द्वारा जारी करते समय जारी दस्तावेज पर विनिर्दिष्ट होगी, निकासी कर सकेगा;
- बंधपत्र को उक्त रोध अवधि के पश्चात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से उधार प्राप्त करने के लिए गिरवी या धारणाधिकार या आडमान के लिए भी अनुज्ञात होंगे;

(ङ) स्थायी लेखा संख्या (पैन) देना होगा—अभिदाता को जारीकर्ता को अपना पैन देना आवश्यक होगा;

(च) बंधपत्र की प्राप्ति—बंधपत्र की प्राप्ति तत्स्थानी अवशेष परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्ति से जो फिक्स्ड इनकम मानी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया द्वारा यथा प्रकाशित है जो बंधपत्र के जारी करने के मास से ठीक पूर्ववर्ती मास के अंतिम कार्यकारी दिवस को यथाविद्यमान हो अधिक नहीं होगी;

(छ) आगम का अंतिम उपयोग और रिपोर्ट या मानीटरिंग क्रियाविधि —

- आगम भारतीय रिजर्व बैंक 'अवसंरचनात्मक उधारदाता' जो उसके द्वारा जारी मार्गनिर्देश में परिभाषित हैं के उपयोग के लिए होगी;
- जारीकर्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में अंतिम उपयोग सम्यक रूप से प्रकाशित होगा और अन्य रिपोर्ट संबंध विनियामक प्राधिकरण को दी जाएगी और जारीकर्ता के कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से सत्यापित होगी;

- (iii) जारीकर्ता वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अवसरचनात्मक प्रभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर उपरोक्त के साथ निबंधन पत्रों के साथ फाइल करेगा।

[अधिसूचना सं. 48/2010/ फा. सं. 149//84/2010-काआ
(टीपीएल)]
विमल आनंद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2010

INCOME-TAX

S.O. 1639(E).—In exercise of the powers conferred by Section 80CCF of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies bonds, subject to the following conditions, as long-term infrastructure bonds for the purposes of the said section, namely :—

- (a) **Name of the bond.**—The name of the bond shall be “Long-term Infrastructure Bond”;
- (b) **Issuer of the bond.**—The bond shall be issued by :—
- (i) Industrial Finance Corporation of India;
 - (ii) Life Insurance Corporation of India;
 - (iii) Infrastructure Development Finance Company Limited;
 - (iv) A Non-Banking Finance Company classified as an Infrastructure Finance Company by the Reserve Bank of India;
- (c) **Limit on issuance.**—
- (i) the bond will be issued during financial year 2010-11;
 - (ii) the volume of issuance during the financial year shall be restricted to twenty-five per cent of the incremental infrastructure investment made by the issuer during the financial year 2009-10;
 - (iii) ‘investments’ for the purposes of this limit shall include loans, bonds, other forms of debt, quasi-equity, preference equity and equity;

(d) Tenure of the bond.—

- (i) A minimum period of ten years;
- (ii) the minimum lock-in period for an investor shall be five years;
- (iii) after the lock-in, the investor may exit either through the secondary market or through a buyback facility, specified by the issuer in the issue documents at the time of issue;
- (iv) the bond shall also be allowed as pledge or lien or hypothecation for obtaining loans from Scheduled Commercial Banks, after the said lock-in period;

(e) Permanent Account Number (PAN) to be furnished.—It shall be mandatory for the subscribers to furnish their PAN to the issuer;

(f) Yield of the Bond.—The yield of the bond shall not exceed the yield on government securities of corresponding residual maturity, as reported by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), as on the last working day of the month immediately preceding the month of the issue of the bond;

(g) End-use of proceeds and reporting or monitoring mechanism.—

- (i) The proceeds shall be utilised towards ‘infrastructure lending’ as defined by the Reserve Bank of India in the Guidelines issued by it;
- (ii) the end-use shall be duly reported in the Annual Reports and other reports submitted by the issuer to the Regulatory Authority concerned, and specifically certified by the Statutory Auditor of the issuer;
- (iii) the issuer shall also file these along with term sheets to the Infrastructure Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance within three months from the end of financial year.

[Notification No. 48/2010/F. No. 149/84/2010-SO
(TPL)]

VIMAL ANAND, Under Secy.